न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम -- श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
13/18	एफएसएस एक्ट, 2006	04/07/2018

1. वेद प्रकाश पूर्बिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. रामावतार गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुप्ता उम्र 55 वर्ष निवासी नहर रोड गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर मैसर्स – रामावतार रवि कुमार पुरानी सब्जी मण्डी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
2. ममता अग्रवाल पत्नि राजेन्द्र कुमार गुप्ता (लाईसेंस धारी) मैसर्स– गौरव एन्टरप्राईजेज ग्रेन मण्डी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
3. राज किशोर भाला पुत्र राधेश्याम भाला (नोमिनी) मैसर्स–धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड सी–184 रोड नं0 9 रानीसति धर्मकांटा के सामने वी0के0आई0एरिया जयपुर निवासी सी–11–9 **LIC Flats Sector-2 Vidyadhar Nagar Jaipur**
4. मैसर्स–धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड 1711 एस0पी0 मुखर्जी मार्ग दिल्ली (निर्माता)

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 25.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 12/01/2016 को 03:00 पी.एम पर रामावतार रवि कुमार पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर पर पहूँचा वहा पर रामावतार गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुप्ता उम्र 55 वर्ष निवासी नहर रोड गंगापुर सिटी स0मा0 उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति दिखाई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** 650 ग्राम के लगभग 25 डिब्बे दुकान में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** 650 ग्राम के 4 पैक डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 540/– रू0 नगदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कियेए जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** 650 ग्राम के 4 पैक डिब्बो को मूल ही लेकर अवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक.एक लेबल चिपकायाए प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 836 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़करए सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता रामावतार गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने भी पढ़करए समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की ... र की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक ... के आउटर कवर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

बन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द्र सैन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेशक, जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग गय फार्म नं 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/544 दिनांक 22.02.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपॉट सं. एलएस 56/एक्ट/2016/433 दिनांक 03.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** मिसब्राण्ड **(Miss Branded)** पाया गया हैं। जॉच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।अभियुक्तो ने मिसब्राण्ड ;खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (आईआई) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)**मिसब्राण्ड **(Miss Branded)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना से दण्डित किया जावें, जिससे आमजन को भविष्य में सुरक्षित खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त सं0 1 व 2 लाइसेन्सधारी दुकानदार है। उक्त खाद्य पदार्थ अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है। अभियुक्त सं0 1 व 2 केवल मात्र एक विकेता है। उक्त खाद्य पदार्थ अभियुक्त सं0 4 कम्पनी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ है जो कम्पनी द्वारा जिस रूप में विक्रय हेतु सप्लाई किया जाता है उसी रूप में विकय जाता है। आवेदन अभियुक्त सं0 1 की दुकान पर आकर प्रार्थी से कई खाली कागजों पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करा लिये जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी से जो खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** कैण्डी के पैक डिब्बे लिये उनका कोई भुगतान अभियुक्त सं0 1 को नहीं किया है। उक्त प्रकरण की कार्यवाही में खादय सुरक्षा अधिकारी ने कई नियमों की अवहेलना की है, साथ ही अभियुक्त सं0 1 के अधिवक्ता ने कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं0 3 व 4 ने दौराने बहस अनुरोध किया कि आवेदक ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 (7) व नियम 2.41(1) , खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के नियम 2.4.5 (1) का अनुपालन नहीं किया है। अभियुक्तगण 3 व 4 खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 (डी)प्रतिरक्षा,जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन में अनुज्ञात की जा सकेगी अनवेषण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त धारा को धारा का पूर्णतः विवेचन नहीं किया, जिसका लाभ प्रतिवादीगण को जाता है, क्योकि नमूना पदार्थ के निर्माता अभियुक्त कमांक 3 व 4 नहीं है, साथ ही अभियुक्त सं0 3व 4 के अधिवक्ता ने उक्त कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपॉट सं. एलएस 56/एक्ट/2016/433 दिनांक 03.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Suger Boiled Confectionary (Plus Pass Pass)** मिसब्राण्ड **(Miss Branded)** पाया गया हैं। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:33 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा [illegible] की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 लगायत 2 को संयुक्त रूप से [illegible] हजार रूपये व अभियुक्त सं0 3 लगायत 4 को संयुक्त रूप से 30,000 (तीस हजार) [illegible] शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

वस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला स्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...25.07.2025 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:33 IST
Reason: SelfAttested